

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.1(1)नविवि / 3 / 1976—पार्ट

जयपुर, दिनांक

०६.१०.२०२१

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य नियम, 1962 के नियम-4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(1)नविवि / 3 / 76 पार्ट-।। जयपुर दिनांक 03.09.2015 द्वारा अधिसूचित श्रीगंगानगर के नगरीय क्षेत्र के लिये तैयार किये गये मास्टर प्लान-2035 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त श्रीगंगानगर मास्टर प्लान-2035 की प्रति का अवलोकन नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

—>  
(नवनीत कुमार)  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
- प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
- शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ०६/१०/२०२१...में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

—  
०६.१०.२०२१  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय